बिहार सरकार
कौशल कुमार भा०प्र०से०
जिलाधिकारी,सुपौल।

बिहार सरकार
समाहरणालय,सुपौल
सुपौल–852131
(जिला प्रोग्राम कार्यालय)
आई०सी०डी०एस० सुपौल

दूरभाष : 06473–223112 (कार्या0)
06473–224210 (फैक्स)
06473–223111, 223311 (आवास)
E-mail: dm-supaul.bih@nic.in
Website :www.supaul.bih.nic.in

पत्रांक...104........ / जि0प्रो0,दिनांक...22/01/ / 2024

सेवा में,

जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी
सुपौल।

विषयः– मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत समाहरणालय परिसर में स्थित पालनाघर के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रारूप जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत समाहरणालय परिसर में स्थित पालनाघर सुपौल–जिला के लिए रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रारूप एवं नियोजन की शर्ते एवं आवेदन पत्र का प्रपत्र जिला के वेबसाईट पर अपलोड कराया जाना है।

अतः उपरोक्त नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रारूप एवं नियोजन की शर्ते एवं आवेदन पत्र का प्रपत्र जिला के वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक–यथावर्णित।

विश्वासभाजन
[signature]
जिलाधिकारी
सुपौल।

समाहरणालय,सुपौल

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत समाहरणालय परिसर में स्थित पालनाघर के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रारूप–

विज्ञापन सं0–03/2024

प्रबंध निदेशक,महिला एवं बाल विकास निगम,बिहार,पटना के पत्रांक WCDC/1882/23 दिनांक 09.08.2023 के आलोक में समाहरणालय परिसर सुपौल में पालनाघर संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है–

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या तथा कोटि	योग्यता	अनुभव	आयु	मानदेय
1	क्रेच वर्कर (महिला हेतु आरक्षित)	01–अनारक्षित	स्नातक उर्तीण	बच्चों के साथ किसी भी संस्थान/स्कूल/आंगनबाड़ी/प्ले स्कूल से संबंधित कार्य का 03 साल का अनुभव	अधिकतम 40 वर्ष	491x30=14730
2	सहायक क्रेच वर्कर (महिला हेतु आरक्षित)	01–अनारक्षित	बारवीं पास अथवा इन्टरमीडिएट	बच्चों की देख रेख से संबंधित कार्यनुभव को प्राथमिकता दी जायेगी।	अधिकतम 40 वर्ष	388x30=11640

01. अभ्यर्थी भारत के नागरिक होंगे।
02. नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा।
03. नियोजन के समय उपलब्ध कराई सूचनाओं के गलत पाए जाने की स्थिति में नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा।
04. अनुभव की अवधि की गणना एवं उम्र की गणना प्रयोजन के लिए, संदर्भ विज्ञापन की तिथि मान्य होगी।
05. मार्गदर्शिका में विहित चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित कर्मियों का नियोजन संविदा के आधार पर 01 वर्ष के लिए किया जाएगा तथा 01 वर्ष की अवधि में प्रथम तीन माह परीक्ष्यमान अवधि होगी, इस अवधि में किए गए कार्य मूल्यांकन की समीक्षा संबंधित नोडल पदाधिकारी द्वारा की जायेगी, जिसके आधार पर संविदा अवधि के विस्तार के संबंध में आवश्यक निर्णय संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया जाएगा।
06. कर्मियों के लिए निर्धारित समेकित पारिश्रमिक हीं उन्हें देय होगा, इसके अतिरिक्त कर्मी अन्य किसी भी प्रकार के लाभ एवं सुविधा के हकदार नहीं होगे।
07. संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 15 दिनों के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। इस संबंध में नियमित नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाऐंगे न सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होंगे। उनका नियोजन मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अन्तर्गत समाहरणालय परिसर में संचालित पालनाघर के अधीन होगा।

08. सभी कार्य दिवसों एवं अवकाश की तिथि को कार्यालय खुलने की स्थिति में पालनाघर की सेवाएँ उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कर्मियों की संयुक्त रूप से होगी।

09. सरकारी अवकाश में पालनाघर बन्द होने के अतिरिक्त कर्मियेां के अन्य किसी भी प्रकार का कोई अवकाश देय नही होगा।

10. विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों के वांछित शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं अंतर्वीक्षा आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित होगी।

11. कार्य अनुभव में सरकारी विभाग/संस्थान कार्यालय में कार्यानुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

12. सरकारी/अर्द्धसरकारी अथवा गैर–सरकारी विभाग/संस्थान/कार्यालय में कार्यानुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।

13. चयन–प्रक्रिया निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु सूचना संबंधित अभ्यर्थी को उनके आवेदन में उल्लेखित ईमेल आईडी एवं जिला के वेबसाईट **supaul.nic.in** पर दी जायेगी। जिला पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी से डाक द्वारा किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जायेगा।

14. विज्ञापन एवं सेवा–शर्तों से संबंधित सभी अधिकार जिला पदाधिकारी, सुपौल के अधीन है। जिला पदाधिकारी, सुपौल विज्ञापन को संशोधित/रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करते है।

15. इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक–22.02.2024 के अपराह्न 05:00 बजे तक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र/अंक–पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ संलग्न करते हुए **Email id-dpoicdssupaul@yahoo.com** पर समर्पित करेंगे। प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जायेगा। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। एक से अधिक पदों के लिए अलग–अलग आवेदन मान्य होंगे। किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

16. भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

17. अभ्यर्थी, विज्ञापन से संबंधित अपडेट अन्य घोषणाओं हेतु नियमित रूप से NIC के बेवसाईट का अवलोकन करते रहेंगे।

20/1/24

जिला पदाधिकारी
सुपौल

आवेदन– प्रपत्र

विज्ञापन संख्या.................................

स्वअभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो

19. आवेदित पद का नाम ....
20. अभ्यर्थी का नाम ....
21. जन्म तिथि :...
22. माता का नाम ....
23. पिता / पति का नाम..
24. आधार कार्ड नंबर..
25. स्थायी आवास का पूरा पता (जिला के नाम के साथ...

....

26. पत्राचार का पता...

....

27. श्रेणी सामान्य ☐ पिछड़ा वर्ग ☐ अति पिछड़ा वर्ग ☐

अनुसूचित जाति ☐ अनुसूचित जनजाति ☐

28. मोबाईल नंबर ....
29. ई. मेल आईडी ....
30. शैक्षणिक विवरणी –

क्र0 सं0	शिक्षा	विषय	उर्तीणता का वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम
1	मैट्रिक					
2	इंटर					
3	स्नातक (प्रतिष्ठा का विषय)					
4	स्नातकोत्तर					
5	पीएचडी / अन्य					
6	कंप्यूटर योग्यता					
7	व्यवसायिक प्रशिक्षण					
8	अन्य					

31. कार्य अनुभव :–

क्र0 सं0	संस्थान का नाम	पदनाम	कार्य अवधि वर्ष / माह / दिन	कार्य विवरणी

32. संलग्न किये गये कागजातों की सूची :–

1		2	
3		4	
5		6	
7		8	
9		10	

घोषणा :– उपरोक्त सभी सूचना मेरे जानकारी के आधार पर सत्य है। यदि भविष्य में कभी कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार रहूँगी एवं मेरे विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जा सकती है।

दिनांक

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर